अभिभाषक पत्र न्यायालय

अभिभाषक परिषद, तालेड़ा, बून्दी

I ADVOCATES WELFARE FUND STAMP 25 Rs 0870996

वन्दे मातरम् 215/- BAR ASSOCIATION TALERA A-19052 ADVOCATE WELFARE FUND, TALERA

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय तालेड़ा

नानालाल विरुद्ध शंकरलाल

(वादी/प्रार्थी/अपीलान्ट/डिग्रीदार/फरियादी) (प्रतिवादी/प्रतिपक्षी/रेस्पा./अभियुक्त/मुल्जिम)

वाद अन्तर्गत 88, 89, 188 RT ACT

मैं/हम नानालाल आयु वयस्क आत्मज श्री भैरूलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

उपरोक्त वाद में (मैं/हम) अपनी ओर से श्री गिरराज गुर्जर एडवोकेट

को अभिभाषक नियुक्तिकर प्रतिज्ञा करता हूं (हम प्रतिज्ञा करते हैं) कि उक्तसज्जन को वकालत शुल्क सम्बन्धी विवाद का आपसी माध्यम से हल करवाने एवं वाद में पक्ष समर्थन व उसके सम्बन्ध में पूर्ण कार्यवाही करने का अधिकार होगा। अभिभाषक महोदय को आवेदन करने समझौता करने, वाद प्रस्तुत करने, शपथ पूर्वक निर्णय कराने, स्वीकारोक्तिपत्र प्रस्तुत करने, धन प्राप्त करने का पत्र, पुनरावलोकन पत्र, अपील, रिवीजन आदि पर हस्ताक्षर कर पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। आवश्यकता अनुसार किसी भी अन्य अभिभाषक को अपने स्थान पर नियुक्तिकरने का अधिकार होगा और जो भी अभिभाषक नियुक्तकर्ता उनकी भी कार्यवाही मुझे स्वीकृत होगी। वाद के चालू समय में अथवा स्थगित होने के पश्चात जो व्यय अथवा क्षति धन प्राप्त होगा उसे भी ग्रहण करने का अधिकार उक्तसज्जन को होगा। न्यायालय द्वारा जो भी सुनवाई की तिथि नियत की जावेगी मैं (पक्षकार) उस सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर हर एक नियत तिथि पर उपस्थित रहूंगा तथा मेरी अनुपस्थिति के कारण यदि कोई वाद निरस्त हो जाता है तो उसका उत्तरदायित्व मेरे अभिभाषक महोदय का नहीं होगा। यदि मैं उपरोक्त शर्तें पूरी न करूं तो उक्तसज्जन को अधिकार होगा कि वे मुकदमे की पैरवी न करें और उस दशा में वाद का उत्तरदायित्व उक्तसज्जन पर न होगा।

अतः यह अभिभाषक पत्र लिख दिया जो कि आवश्यकतानुसार काम आवे।

गिरराज

पक्षकार के स्थान दिनांक

पक्षकार अभिभाषक

नानालाल